RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ९, अंक ३४] गुरुवार, ऑक्टोबर १५, २०१५/आश्विन २३, शके १९३७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगर विकास विभाग

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ५ अक्तूबर, २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIX OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1888, MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९, सन् २०१५।

मुम्बई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुम्बई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र

नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; सन् १९८८ का ३। सन् १९६५ का महा. ४०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

अध्याय दो

मुम्बई नगर निगम अधिनियम, १९८८ में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ ।

२. मुम्बई नगर निगम अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा (१क) के बाद, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" (१ ख) (क) यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछडे वर्ग के नागरिकों (जिसे इसमें आगे " आरक्षित प्रवर्ग " कहा गया है) से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित सीट पर झूठे दावे या वह व्यक्ति ऐसे आरक्षित प्रवर्ग का है ऐसा घोषित करनेवाले झूठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पार्षद के रुप में निर्वाचित होकर आया है, यदि ऐसा आदेश संबंधित प्राधिकारी ने धारा १८ या, यथास्थिति, धारा ३३ के अधीन पारित किया है तो कोई व्यक्ति पार्षद होने से या पार्षद के रुप में चुने जाने के लिए चुनाव लडने से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्ह होगा।

(ख) ऐसी निरर्हता की कालावधि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के दिनांक से परिगणित की जायेगी।

(१ग) (क) उप-धारा (१ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पार्षद जो उप-धारा (१ख) में उल्लिखित आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुआ है तो वह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जाती) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और विशेष पिछडे प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन), जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन गठित संबंधित संविक्षा समिति या के प्रयोजन के लिए, जाति प्रमाणपत्र की संविक्षा करने प्राधिकारी द्वारा, ऐसे पार्षद का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित किया जाता है और ऐसी व्यक्ति द्वारा झूठे दावे या आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित होने की घोषणा का झूठा दावा करने पर उसे इस आधार पर रद्द करने के लिये उक्त संविक्षा समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र अवैध घोषित करने और रद्द करने के दिनांक से, पार्षद ने अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा।

सन् २००१ का महा. २३ ।

(ख) कोई व्यक्ति, पार्षद होने से अनर्ह होने पर और परिणामस्वरुप, ऐसे पार्षद का पद खण्ड (क) के अधीन रिक्त होने पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश के दिनांक से छह वर्षों की कालावधि के लिए पार्षद के रुप में निर्वाचन लडने या पार्षद बने रहने से निरर्ह ठहरायेगी।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, १९४९ में संशोधन।

सन १९४९ का ५९। **३.** निगम अधिनियम की धारा १० की उप-धारा (१क) के बाद, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेंगी अर्थात् :– सन १९४९ का बम्बई ५९ की धारा १० में संशोधन।

" (१ ख) (क) यदि कोई व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछडे वर्ग के नागरिकों (जिसे इसमें आगे " आरक्षित प्रवर्ग " कहा गया है) से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित सीट पर झूठे दावे या वह व्यक्ति ऐसे आरक्षित प्रवर्ग का है ऐसा घोषित करनेवाले झूठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पार्षद के रुप में निर्वाचित होकर आया है यदि ऐसा आदेश संबंधित प्राधिकारी ने धारा १२ या, यथास्थिति, धारा १६ के अधीन पारित किया है तो कोई व्यक्ति पार्षद होने से या पार्षद के रुप में चुने जाने के लिए चुनाव लडने से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्ह होगा।

(ख) ऐसी निरर्हता की कालावधि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के दिनांक से परिगणित की जायेगी।

(१ ग) (क) उप-धारा (१ ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पार्षद जो उप-धारा (१ ख) में उल्लिखित सीट पर निर्वाचित हुआ है तो वह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाती) खानादोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और विशेष पिछडे प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन गठित संबंधित संवीक्षा समिति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र की संवीक्षा या के प्रयोजन के लिए करने राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारास ऐसे पार्षद का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित किया जाता है और ऐसी व्यक्ति द्वारा झूठे दावे या आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित होने की घोषणा का झूठा दावा करने पर उसे इस आधार पर रद्द करने के लिये उक्त संवीक्षा समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र अवैध घोषित करने और रद्द करने के दिनांक से, पार्षद ने अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा। सन् २००१ का महा. २३ ।

(ख) कोई व्यक्ति, पार्षद होने से अनर्ह होने पर और परिणामस्वरुप, ऐसे पार्षद का पद खण्ड (क) के अधीन रिक्त होने पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश के दिनांक से छह वर्षों की कालावधि के लिए पार्षद के रुप में निर्वाचन लडने या पार्षद बने रहने से निरर्ह ठहरायेगी।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा १६ की उप-धारा (१क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :– सन् १९६५ का महा. ४० ।

" (१ ख) यदि कोई व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछडे वर्ग के नागरिकों जिसे इसमें आगे " आरक्षित प्रवर्ग " कहा गया है, से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित सीट पर झूठे दावे या वह व्यक्ति ऐसे आरक्षित वर्ग का है ऐसा घोषित करनेवाले झूठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पार्षद के रुप में निर्वाचित होकर आया है यदि ऐसा आदेश संबंधित प्राधिकारी ने धारा २१ या, यथास्थिति, धारा ४४ के अधीन पारित किया गया है तो कोई व्यक्ति, पार्षद होने से या पार्षद के रुप में चुने जाने के लिए चुनाव लडने से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्ह होगा।

(ख) ऐसी निरर्हता की अवधि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के दिनांक से परिगणित की जायेगी।

(१ग) (क) उप-धारा (१ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पार्षद जो उप-धारा (१ख) में उल्लिखित आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुआ है तो वह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) (खानाबदोश जनजाति) अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन गठित संबंधित संवीक्षा समिति या के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे पार्षद का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित किया जाता है और ऐसी व्यक्ति द्वारा झूठे दावे या आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित होने की घोषणा का झूठा दावा करने पर उसे इस आधार पर रद्द करने के लिये उक्त संवीक्षा समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र अवैध घोषित करने और रद्द करने के दिनांक से, पार्षद ने अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा। सन् २००१ का महा. २३ ।

(ख) कोई व्यक्ति, पार्षद होने से अनर्ह होने पर और परिणाम स्वरुप, ऐसे पार्षद का पद खण्ड (क) के अधीन रिक्त होने पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश के दिनांक से छह वर्षों की कालावधि के लिए पार्षद के रुप में निर्वाचन लड़ने या पार्षद बने रहने से निरर्ह ठहरायेगी।

अध्याय पाँच

विविध

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

४. (१) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, या यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से अन असंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : सन् १८८८ का ३ । सन् १९४९ का ५९ । सन् १९६५ का महा. ४० ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, (सन् १९४९ का ४९) और महाराष्ट्र नगर परिषद **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का ४०) के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या यथास्थिति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये आरक्षित सीटों पर निर्वाचन लडने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, नामांकन पत्र के साथ महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)**, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े प्रवर्ग को जाति प्रमाणपत्र (निर्गमन तथा सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, २००० (सन २००१ का महा. २३) के उपबंधों के अनुसार,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र या संविक्षा समिति द्वारा जारी किया गया वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, आवश्यक होगा।

२. जनता और भावी उम्मीदवारों से बडी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, नगर निगमों और नगर परिषदों के सामान्य चुनावों या उप-चुनावों जिसके लिए नामनिर्देशन भरने का अंतिम दिनांक ३१ दिसंबर, २०१७ को या के पूर्व है, तो उम्मीदवार चुनाव लडने के अवसर से वंचित पार्षदों के लिए आरक्षित सीटों पर निर्वाचन लडने के इच्छुक व्यक्तियों और जिसने नामांकन पत्र दाखिल करते समय जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये जिसने जाति संविक्षा समिति को आवेदन प्रस्तुत किया है, तो यह परिवचन देता है की निर्वाचित घोषित किये जाने के दिनांक से छह महिने के भीतर, जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की उसे अनुमति देने की दृष्टि से उक्त नगर विधियों में सन् २०१५ को महाराष्ट्र १३ द्वारा संशोधित गया है। यह भी उपबंधित किया गया है कि, यदि, व्यक्ति उसके निर्वाचन के दिनांक से छह महिने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल हुआ है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जायेगा और वह पार्षद होने से निरर्ह होगा।

३. यह देखा गया है कि, उक्त उपबंध आरक्षित प्रवर्ग के सद्भावी उम्मीदवारों के लिये अन्याय के कारण होने की संभावना है। आरक्षित सीटों के लिये चुनाव में जाली उम्मीदवारों को रोकने के उद्देश से, संवीक्षा समिति द्वारा उसका जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित होने पर, ऐसा व्यक्ति पार्षद होने से या पार्षद के रुप में निर्वाचित होने के लिये चुनाव लडने से छह वर्ष की अवधि के लिये निरर्ह करने की दृष्टि से, उक्त नगर विधियों में यथोचित उपबंधों को निगमित करने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

४. विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३), महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) और महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ५ अक्तूबर २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनिषा पाटणकर-म्हैसकर,
शासन के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.